

2



राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक: एफ.1(1)()/मअ/स्था/2019/

जयपुर, दिनांक:

1. समस्त राजपत्रित अधिकारी,
महिला अधिकारिता, मुख्यालय
2. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक/
संरक्षण अधिकारी, महिला अधिकारिता,
जिला

विषय:—समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण का स्वयं के एसओ-आईडी से लॉग-ईन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं द्वारा भरने के सम्बन्ध में।
संदर्भ:—शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग के परिपत्र दिनांक 01.01.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र के क्रम में लेख है कि प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी की स्थिति में 31 जनवरी तक अचल सम्पत्ति का विवरण कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समस्त राजपत्रित अधिकारी अपना अचल सम्पत्ति का विवरण 01 जनवरी की स्थिति में 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से स्वयं के एसएसओ-आईडी से लॉगईन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन लाईन कराना सुनिश्चित करें। अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जायेगी

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 01 जनवरी की स्थिति में 31 जनवरी तक अचल सम्पत्ति की घोषणा राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन कराते हुए हार्ड कॉपी एवं GA-141 भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा पदोन्नति एवं वार्षिक वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावेगा।

(डॉ. आभा जैन)
अतिरिक्त निदेशक, म.अ.

क्रमांक: एफ.1(1)()/मअ/स्था/2019/ 17769-70

जयपुर, दिनांक: 21-06-21

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
2. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.